भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.11.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 373 का उत्तर

तमिल दैनिक "दिनाकरन" की समाचार रिपोर्ट

373. श्री टी. आर. बालू:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल दावा अधिकरण, चेन्नई द्वारा जनता और कर्मचारियों के दुर्घटना दावों के निपटान में अत्यधिक देरी के संबंध में तमिल दैनिक "दिनाकरन" की 7 जुलाई 2024 के समाचार से सरकार अवगत है;

(ख) यदि हां, तो हजारों की संख्या में लंबित सभी दावों का शीघ्र निपटान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार पूरे देश में सभी लंबित मुआवजे संबंधी दावों का निर्धारित समय-सीमा में निपटान सुनिश्चित करती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले अपने कर्मचारियों के लिए मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): मुआवजे के लिए दावे संबंधी मामले रेलवे दावा अधिकरण में दायर किए जाते हैं और उचित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद मामलों का निपटान किया जाता है।

दिनांक 20.11.2024 की स्थिति के अनुसार रेल दावा अधिकरण, चेन्नई में कोई दुर्घटना मामला लंबित नहीं है।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 25.11.2016 के पत्र के द्वारा रेल कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवारों को दी जाने वाली एकमुश्त अनुग्रह राशि को पहले ही संशोधित कर 25 लाख रुपए कर दिया गया है।

*****